रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 179] नई दिल्ली, सोमवार, मई 26, 1975/ज्येष्ठ 5, 1897

No. 179] NEW DELHI, MONDAY, MAY 26, 1975/JYAISTHA 5, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 26th May 1975

S.O. 230(E).—Whereas the industrial undertaking known as Khardah Co. Ltd., is engaged in the Scheduled industry namely, the Jute Industry;

And whereas the Central Government is of the opinion that there has been substantial fall in the volume of production in respect of jute products manufactured in the said industrial undertaking, for which, having regard to the economic conditions prevailing, there is no justification;

And whereas the Central Government is further of the opinion that the said industrial undertaking is being managed in a manner highly detrimental to the jute industry and to public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints for the purpose of making full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:—

1. Shri K. K. Chatterjee, Industrial Adviser in the office of the Jute Commission, Calcutta. .. Chairman.
2. Shri C. R. Guha Mazumdar, Secretary, Closed and Sick Industries Department, Government of West Bengal. .. Member.
3. Shri G. V. S. Desikan, National Textile Corporation, New Delhi. . Member.
4. Shri N. C. Bardhan, Assistant Cost Accounts Officer, office of the Jute Commissioner, Calcutta. . Member.

[No. 3/3/74-CUC]

B. N. JAYASIMHA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 26 मई, 1975

का० आ० सं० 230 (अ).—यतः खर्दाह कम्पनी लिमिटेड नामक औद्योगिक उपक्रम, अनुसूचित उद्योग अर्थात् पटसन उद्योग में लगा है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम में विनिर्मित पटसन उत्पादों की बाबत उत्पादन की मात्रा में पर्याप्त कमी हुई है, जिसके लिए, विद्यमान आर्थिक दशाओं को ध्यान में रखते हुए, कोई औचित्य नहीं है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का ऐसी रीति में संचालन किया जा रहा है जो पटसन उद्योग तथा लोक हित के लिए अति अहितकर है ;

अतः, अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, मामले की परिस्थितियों का पूर्ण अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ व्यक्तियों का एक निकाय नियुक्त करती है जिसमें निम्नलिखित होंगे:—

1. श्री के० के० चैटर्जी, — अध्यक्ष
   पटसन आयुक्त के कार्यालय में औद्योगिक सलाहकार।
2. श्री सी आर० गुहा, मजुम्दार, — सदस्य
   सचिव, बन्द और रुग्ण उद्योग विभाग,
   पश्चिमी बंगाल सरकार।
3. श्री जी० वी० एस० देसीकण, — सदस्य
   नेशनल टेक्स्टाइल कारपोरेशन।
4. श्री एन० सी० बर्धन, — सदस्य
   सहायक लागत लेखा अधिकारी, पटसन आयुक्त का कार्यालय।

[सं० 3/3/74-सी० यू० सी०]

वी० एन० जयसिंह, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975